पंजीकरण संख्या–56/192/2019–19/PPS-1

लोग

लोग पार्टी

दिनांक : 5-9-2024

पत्रांक :

**लोग पार्टी ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत किया**

लखनऊ, 5 सितंबर: लोग पार्टी ने आज कुछ मामलों में अभियुक्तों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के असंवैधानिक उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीखी अस्वीकृति का स्वागत किया। न्यायालय ने "बुलडोजर न्याय" के नाम पर गंभीर रूप ले चुकी इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए अखिल भारतीय दिशानिर्देश जारी करने का सही संकेत दिया है।

पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बुलडोजर के इस्तेमाल के ज्यादातर मामलों में राज्य के अधिकारियों ने राज्य में सत्तारूढ़ दल को खुश करने के लिए अपनी शक्ति का घोर दुरुपयोग किया। प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों में अधिकारियों द्वारा 'आरोपियों' के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजरों का बढ़ता उपयोग, जिन्हें अभी तक सक्षम अदालत द्वारा दोषी घोषित नहीं किया गया है, पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। प्रवक्ता ने कहा कि बुलडोजर कुछ राज्यों में बहुसंख्यकवादी न्याय की लोकप्रिय धारणा का प्रतीक बन गया है। इसे अक्सर दूसरों द्वारा जानबूझकर गलत दिशा में निर्देशित किया जाता है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और समाज में विघटनकारी तत्वों को दंडित करने के दिखावटी बहाने के अलावा अन्य उद्देश्यों से प्रेरित होता है। पार्टी ने इस प्रकार कहा कि शीर्ष अदालत ने बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है। अदालत ने यह भी कहा है कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना दोषसिद्धि भी इस तरह की कार्रवाई को उचित नहीं ठहराती है।

प्रवक्ता ने कहा कि 'अभियुक्तों' की संपत्ति को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर का बढ़ता इस्तेमाल वास्तव में न्याय पर बुलडोजर चलाना है। पार्टी ने कहा कि ऐसा कोई केंद्रीय और/या राज्य कानून नहीं है जो राज्य एजेंसियों को अपराध की सुनवाई और उसके बाद सजा के बीच किसी भी चरण में किसी भी आरोपी की संपत्ति को बुलडोजर के इस्तेमाल के लिए अधिकृत करता है। प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा स्थिति में मनमाने विध्वंस को रोकने के लिए सभी राज्यों में मानकीकृत दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता है। अनधिकृत निर्माण के मामले में भी, प्रक्रिया कानून के अनुसार संचालित की जानी चाहिए।

(एस एन सिंह)
प्रदेश अध्यक्ष

मुख्यालय– 33/2, स्टेनली रोड, इलाहाबाद – 211001 (उ0प्र0)
प्रदेश कार्यालय– 3/250 विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 (उ0प्र0)
[illegible]y2016@gmail.com